रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3153] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 9, 2018/श्रावण 18, 1940
No. 3153] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 9, 2018/SHRAVANA 18, 1940

## विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय

## (जैव प्रौद्योगिकी विभाग )

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2018

**का.आ. 3948(अ).**—सेवाओं या लाभों या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और लाभार्थियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए बहुल दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है ;

और, भारत सरकार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन जैव प्रौद्योगिकी विभाग (जिसे इसमें इसके पश्चात विभाग कहा गया है) निम्नलिखित केंद्रीय सेक्टर स्कीमों (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) का संचालन करता है, जिसके अधीन जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में छात्रों, शोधकर्ताओं तथा वैज्ञानिकों को विभिन्न पुरस्कार तथा अध्येतावृत्ति प्रदान की जाती है ।

(I) राष्ट्रीय महिला जैव वैज्ञानिक पुरस्कार ;

(II) जैव प्रौद्योगिकी शोध विशिष्ट प्रोफेसरशिप पुरस्कार ;

(III) जैव प्रौद्योगिकीय उत्पाद, प्रक्रिया विकास तथा वाणिज्यीकरण पुरस्कार ;

(IV) कैरियर विकास के लिए राष्ट्रीय जीव विज्ञान पुरस्कार ;

(V) कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृति ;

(VI) शोध एसोशिएट ;

(VII) जैव सूचना राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति प्रमाण पत्र ; और

(VIII) जैव प्रौद्योगिकी विभाग जीव विज्ञान अध्येतावृत्ति ;

और, उपर्युक्त स्कीमें विभाग द्वारा प्रत्यक्ष रुप से या समन्वयक संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों (जिसे इसकी कार्यान्वयन एजेंसी कहा गया है) द्वारा लागू की जाती है। उपर्युक्त क्रम सं. (i) से (iv) तक लाभार्थी वैज्ञानिक हैं, उपर्युक्त क्रम सं. (v) से (viii) तक की स्कीमों के अधीन जीव विज्ञान तथा जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लाभार्थी छात्र और शोधकर्ता हैं (जिसे इसमें इसके पश्चात सामूहिक रूप से लाभार्थी कहा गया है)। स्कीमों के विद्यमान दिशा-निर्देशों के अनुसार यह सहायता लाभार्थी को नकद या किसी अन्य रुप में दी जाती है। (जिसे इसमें इसके पश्चात् सामूहिक रूप से लाभ कहा गया है) और, उपर्युक्त स्कीमों पर भारत की संचित निधि पर उपगत व्यय अंतर्वषित है

अत: अब, केंद्रीय सरकार, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात:-

1. (1) इस स्कीम के अधीन लाभ प्राप्त करने के लिए इच्छुक व्यक्ति से अपेक्षा है कि वह आधार संख्या रखने का सबूत प्रस्तुत करे या आधार अधिप्रमाणन प्रक्रिया पूरी करें।

(2) स्कीम के अधीन लाभ प्राप्त करने के इच्छुक ऐसे व्यक्ति को जिसके पास आधार संख्या नहीं हैं या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, तो वह आवेदन की तारीख के पहले तक आधार के नामांकन के लिए आवेदन करे परन्तु, वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंध के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार हो और ऐसे व्यक्ति आधार नामांकन केंद्र पर (सूची www.uidai. gov.in पर उपलब्ध है) नामांकन के लिए जा सकते हैं ।

(3) आधार (नामांकन तथा अद्यतन) विनियमावली 2016 के विनियम 12 के अनुसार विभाग से यह अपेक्षित है कि वह अपनी कार्यान्वयन ऐजेंसी के माध्यम से ऐसे लाभार्थियों के लिए जिन्होनें अभी तक आधार नामांकन नहीं कराया है आधार नामांकन सुविधाओं की प्रस्थापना करें और उस दिशा में, जहां क्रमश: ब्लॉक, या तालुका या तहसील में आधार नामांकन केंद्र नहीं हैं तो वहां विभाग अपनी कार्यान्वयन ऐजेंसियों के माध्यम से यू.आई.डी.ए.आई. के विद्यमान रजिस्ट्रारों के समन्वय या रजिस्ट्रार के रूप में यू.आई.डी.ए.आई बनकर सुविधाजनक अवस्थानों में आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराएगा।

परन्तु ऐसे व्यक्ति को आधार समनुदेशित किए जाने तक स्कीम के अधीन निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने के अधीन रहते हुए लाभ दिए जाएगें, अर्थात्:-

(क) (I) यदि उसने आधार के लिए नामांकन करा दिया है, तो उसकी आधार नामांकन की आई.डी स्लिप ; या

(II) आधार नामांकन के लिए उनके अनुरोध की एक प्रति जैसा कि पैरा-2 के उपपैरा-(2) में निर्दिष्ट है और

(ख) (I) फोटो सहित बैंक पास बुक : या

(II) भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा जारी किया गया मतदाता पहचान पत्र ; या

(III) राशन कार्ड ; या

(IV) आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया स्थायी लेखा संख्या (पैन) कार्ड : या

(V) पास पोर्ट ; या

(VI) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञप्ति प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया ड्राईविंग लाइसेंस ; या

(VII) किसी राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा किसी आफिसियल लेटर हैड पर फोटो सहित हस्ताक्षरित परिचय प्रमाण पत्र ; या

( VIII) नाम तथा फोटो सहित डाक विभाग द्वारा जारी आवासीय कार्ड ; या

(IX) किसान फोटो पास बुक ; या

(X) विभाग द्वारा निर्दिष्ट अन्य कोई दस्तावेज

परन्तु यह और भी कि, उपर्युक्त दस्तावेज की जाँच विभाग द्वारा इस प्रयोजन के लिए अभिहित विशेष अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. लाभार्थियों को स्कीमों के अधीन निर्बाध रूप से लाभ तथा सुविधाएं प्रदान करने के लिए विभाग को अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम सहित निम्नलिखित व्यवस्थाएं करनी होंगी अर्थात् :-

(1) मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार तथा लाभार्थियों को व्यक्तिगत सूचना द्वारा योजना के लिए आधार की आवश्यकता की जानकारी दी जाएगी और यदि उन्होनें अभी तक आधार के लिए अपना नामांकन नही कराया है तो उन्हें आवेदन की तारीख के पहले तक अपने निकटतम केंद्र में आधार नामांकन कराने की सलाह दी जाएगी। उन्हें उनके आवास के दायरे में स्थित नामांकन केंद्रों की सूची उपलब्ध कराई जाएगी।

(2) यदि स्कीम के लाभार्थियों को उनके आवासीय स्थान के दायरे में जैसे उनके ब्लॉक या तहसील या तालुका में आधार नामांकन केंद्र स्थित न होने के कारण नामांकन कराने में असमर्थ है तो विभाग को या तो स्वयं या अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से उनकी आवासीय स्थिति की पहुंच में आधार नामांकन केंद्र की सुविधा उपलब्ध करानी होगी और लाभार्थी अपने नाम, आवासीय पता, मोबाइल नम्बर के साथ-साथ अन्य दस्तावेज जिनका उल्लेख पैरा 1 के उपपैरा (3) के पहले परन्तुक में किया गया है प्रस्तुत करते हुए कार्यान्वयन एजेंसी के संबंधित अधिकारी या इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध कराए गए वेब पोर्टल के माध्यम से आधार नामांकन के लिए अपना अनुरोध रजिस्ट्रीकृत करा सकते हैं।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होगी।

[फा. सं. बीटी/एसए/डीबीटी/1/2016]

चन्द्र प्रकाश गोयल, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY**

(Department of Biotechnology)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th July, 2018

**S.O. 3948(E).—**Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity

And whereas, the Department of Biotechnology *(hereinafter referred to as the Department)* under Ministry of Science and Technology in the Government of India is administering the following Central Sector Schemes *(hereinafter referred to as the Schemes)* under which various awards and fellowship are given to the students, researchers and scientists in the field of Biotechnology:

(i) National women Bio-scientists Award;

(ii) Distinguished Biotechnology Research Professorship Award;

(iii) Biotech Product, Process Development and Commercialisation Awards;

(iv) National Biosciences Awards for Career Development;

(v) Junior Research Fellowship;

(vi) Research Associates;

(vii) Bioinformatics National Certificates Fellowship; and

(viii) Department of Biotechnology Biology Scholarship;

And whereas the above Schemes are implemented either directly by the Department or through the coordinating Institutes and Universities *(hereinafter referred to as the Implementing Agencies)*. Beneficiaries under the Schemes at serial number (i) to (iv) above are scientists, whereas the beneficiaries under the Schemes at serial number (v) to (viii) above are students and researchers in the areas of Biology and Biotechnology *(hereinafter collectively referred to as the beneficiaries).* The aid is granted to the beneficiaries either in the form of cash or in kind *(hereinafter collectively referred to as the benefits)*, as per the extant guidelines of the Schemes;

And whereas, the aforesaid Schemes involve expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) *(hereinafter referred to as the said Act)*, the Central Government hereby notifies the following, namely: -

1. (1) An individual desirous of availing the benefits under the Schemes is required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) An individual desirous of availing the benefits under the Schemes, who does not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar, shall have to apply for Aadhaar enrolment before the date of application, provided he or she is entitled to obtain Aadhaar as per the provision in section 3 of the said Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at www.uidai.gov.in) for Aadhaar enrolment.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department though its Implementing Agencies is required to offer Aaadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in respective Block or Taluka or Tehsil, the Department through its implementing agencies shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by Department itself becoming UIDAI Registrar:

Provided that, till the Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Schemes shall be given to such individual subject to the production of the following documents, namely: -

a) (i) If he or she has enrolled, his or her Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of his or her request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2) of paragraph 2 and

b) (i) Bank passbook with photograph; or

(ii) Voter ID card issued by the Election Commission of India; or

(iii) Ration Card; or

(iv) Permanent Account Number (PAN) Card issued by the income tax department; or

(v) Passport; or

(vi) Driving License issued by Licensing Authority under Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or

(vii) Certificate of Identity having photo issued by any Gazetted officer or Tehsildar on an official letter head; or

(viii) Address card having Name and Photo issued by Department of Posts; or

(ix) Kisan Photo Passbook; or

(x) any other document as specified by the Department:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Department for the purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefit under the schemes to the beneficiaries, the Department through its Implementing Agencies shall make all the required arrangements including the following, namely: -

(1) Wide publicity through media and individual notices shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Schemes and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest Aadhaar enrolment centre available in their areas before the date of application, in case they are not already enrolled. The list of locally available enrolment centres shall be made available to them.

(2) In case, beneficiaries of the Schemes are not able to enroll due to non-availability of enrolment centres in the vicinity such as in the Block or Tehsil or Taluka, the Department itself or through its Implementing Agencies is required to create Aadhaar enrolment facilities at convenient locations and the beneficiaries may register their requests for Aadhaar enrolment by giving their names, addresses, mobile numbers along with other documents as specified in the first proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the concerned official of the Implementing Agencies or through the web portal provided for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union Territories except the States of Assam, Meghalaya and the State of Jammu and Kashmir.

[F. No. BT/SA/DBT/1/2016]

C. P. GOYAL, Jt. Secy.

RAKESH SUKUL
Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2018.08.11 14:10:23 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.